बदरु राम

बनाम

राजस्थान राज्य

26 फरवरी, 2015

न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति रोहिन्टन फाली नरीमन

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और धारा 149 – हत्या – सामान्य उद्देश्य – अचानक प्रकोपन – मामले के दो क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य और समग्र परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि घटना अचानक प्रकोपन से नहीं हुई और घटना के पीछे किसी आशय या हेतुक का अभाव था बल्कि उक्त हत्या सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सोच-समझकर कारित की गई, अतः अभियुक्त हत्या के अपराध से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किए जाने के दायी हैं ।

यह अपील चार व्यक्तियों द्वारा फाइल की गई है जिन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और अनेक न्यून अपराधों के साथ प्रत्येक अपराधी को आजीवन कारावास भोगने और 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया है तथा सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का आदेश किया गया है । तारीख 11 नवंबर, 1999 को घटित एक दुर्घटना में दो व्यक्तियों अर्थात् कमल कुमार और ओम प्रकाश की मृत्यु हो गई । 11 व्यक्तियों को आरोपित किया गया जिनमें से शिव लाल की विचारण के दौरान ही मृत्यु हो गई । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) सं. 2, झुंझुनू ने कमल कुमार और ओम प्रकाश की हत्या के लिए अन्य 10 अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया और सभी को आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया । इस अपील में आक्षेपित निर्णय में 6 व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया क्योंकि उन्हें पंच बयान के महत्वपूर्ण साक्षी राधे श्याम (अभि. सा. 3) द्वारा नामित नहीं किया गया था । तथापि, उच्च न्यायालय ने चार व्यक्तियों अर्थात् बदरु राम, सीताराम, रामावतार और लक्ष्मण को दोषी पाया और उन्हें दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 3 की मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा का परिशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह साक्षी न्यायालय को यह नहीं बता सका कि मृतकों को कितनी क्षतियां किन-किन हथियारों से पहुंची थीं, इस बात से यह साक्ष्य निर्बल नहीं हो जाता कि अभियुक्तों द्वारा आहतों की पिटाई की गई थी । यह स्पष्ट है कि रात्रि में यह पता लगाना बहुत कठिन होता है कि किस व्यक्ति ने किस पर वार किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने बहुत सावधानी के साथ दो आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और चिकित्सक जिसने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है, सहित सभी 14 साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन किया है । अभि. सा. 7 और अन्वेषण अधिकारी ने अपराध में प्रयोग किए गए हथियारों की बरामदगी के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया है । अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त रामावतार द्वारा स्वेच्छया दी गई जानकारी के आधार पर एक कुल्हाड़ी अभिगृहीत करके मुहरबंद की गई । इसी प्रकार, अन्य अभियुक्तों से लाठियां बरामद की गईं जिनमें अभियुक्त बदरु राम से उसके मकान के पीछे पानी में से लाठियां बरामद की गईं, शिव लाल से उसके मकान के पीछे लगे पौधों और झाड़ियों में से लाठी बरामद की गई और अभियुक्त लक्ष्मण के कथनानुसार बैंगन के खेत में से गंडासी बरामद की गई थी । इसी प्रकार अभियुक्त सीताराम के कहने पर लाठी बरामद की गई है । निचले न्यायालयों ने साक्ष्य का बहुत सूक्ष्मता के साथ परिशीलन किया है और दो प्रत्यक्षदर्शी आहत साक्षियों के साक्ष्य का पूर्ण रूप से अवलंब लिया है और अन्वेषण अधिकारी तथा डा. जे. पी. बुगलिया के साक्ष्य का भी परिशीलन किया है, अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि मस्तिष्क को पहुंची क्षति और आंतरिक और बाह्य रक्तस्राव होने के कारण मृतक कौमा की स्थिति में आ गया था जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील दी है कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 6 अभियुक्तों को दोषमुक्त किया है इसलिए समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलार्थियों को भी दोषमुक्त किया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय के निर्णय से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अन्य 6 अभियुक्तों की दोषमुक्ति का कारण केवल यह है कि उन्हें परचा बयान में राधे श्याम द्वारा नामित नहीं किया गया था । राज्य ने उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय के समक्ष अपील नहीं की है । समतुल्यता के सिद्धांत को ऊपर उल्लिखित ऐसे दो प्रत्यक्षदर्शी आहत साक्षियों के सारभूत साक्ष्य से प्रतिस्थापित नहीं किया जा

सकता जिन पर निचले न्यायालयों द्वारा एकमत रूप से विश्वास किया गया है । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् न्यायमित्र द्वारा यह भी दलील दी गई है कि यह ऐसा मामला है जिसे दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध में परिवर्तित किया जाना चाहिए क्योंकि विद्वान् न्यायमित्र के अनुसार मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों का परिशीलन करने पर यह घटना अचानक प्रकोपन के कारण घटित हुई प्रतीत होती है जिसमें कोई कारण या हेतु दिखाई नहीं देता है । यह दलील केवल खारिज किए जाने के लिए ही दी गई है । दो प्रत्यक्षदर्शी आहत साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह अचानक प्रकोपन का मामला नहीं है और हेतु के न होने से आरोप में कमी नहीं आ सकती । (पैरा 7, 8, 9 और 10)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 806.

2006 की दांडिक अपील सं. 833 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की खंड न्यायपीठ के तारीख 29 नवंबर, 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री विद्याधर गौड़ (ए. सी.) और जी. एस. मणि (ए. सी.)

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री शोवन मिश्रा, मिलिंद कुमार, जार्ज थॉमस और (सुश्री) हर्षा विनाय

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने दिया ।

न्या. नरीमन – यह अपील चार व्यक्तियों द्वारा फाइल की गई है जिन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और अनेक न्यून अपराधों के साथ प्रत्येक अपराधी को आजीवन कारावास भोगने और 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया है तथा सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का आदेश किया गया है । तारीख 11 नवंबर, 1999 को घटित एक दुर्घटना में दो व्यक्तियों अर्थात् कमल कुमार और ओम प्रकाश की मृत्यु हो गई । 11 व्यक्तियों को आरोपित किया गया जिनमें से शिव लाल की विचारण के दौरान ही मृत्यु हो गई । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) सं. 2, झुंझुनू ने कमल कुमार और ओम प्रकाश की हत्या के लिए अन्य 10 अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया और सभी को आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया । इस

अपील में आक्षेपित निर्णय में 6 व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया क्योंकि उन्हें पंच बयान के महत्वपूर्ण साक्षी राधे श्याम (अभि. सा. 3) द्वारा नामित नहीं किया गया था । तथापि, उच्च न्यायालय ने चार व्यक्तियों अर्थात् बदरु राम, सीताराम, रामावतार और लक्ष्मण को दोषी पाया और उन्हें दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया ।

2. हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् न्यायमित्र श्री विद्याधर गौड़ और श्री जी. एस. मणि तथा राज्य की ओर से श्री शोवन मिश्रा को सुना है ।

3. तारीख 12 नवंबर, 1999 को शिकायतकर्ता राधे श्याम (अभि. सा. 3) ने एक शिकायत दर्ज कराई कि वह उन 4 भाइयों में से एक है जिनमें से दो भाइयों की एक दिन पहले अर्थात् तारीख 11 नवंबर, 1999 को 11.15 बजे अपराह्न में हुई घटना में मृत्यु हो गई थी । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है :–

> "यह घटना 11 नवंबर, 1999 को लगभग 11.15 बजे अपराह्न में घटित हुई थी । हम चार भाई थे, मैं राधे श्याम सबसे बड़ा हूं, ओम प्रकाश मुझसे छोटा है, कमल कुमार ओम प्रकाश से छोटा है और मतू राम सबसे छोटा भाई है । भगवान राम मेरे बड़े चाचा हैं । भगवान राम के पास कृषि भूमि है और हमारी धानी के निकट विद्युत नलकूप भी है । हमने भगवान राम की भूमि अध-बटाई पर ले रखी है । घटना के दिन 11.15 बजे अपराह्न में, मैं कुंए के निकट बैठा हुआ था और बिजली की देखरेख कर रहा था । हमने खेत में गोभी की फसल बोई हुई थी और मेरे भाई कमल कुमार और ओम प्रकाश खेतों में सिंचाई कर रहे थे । प्याऊ के निकट मंडरैला रोड की ओर से चीख-पुकार की आवाज सुनाई दी । मैं बाहर आया और मैंने देखा कि मेरे भाई कमल और ओम प्रकाश चिल्ला रहे थे, 'भाई, हमारे को बचाओ । हमारे को बदरु राम, उसके लड़के शिव लाल, सीताराम, रामावतार, लक्ष्मण, शीश राम, महेश और उनकी औरतें नन्ची, ननदी, जमुना और ललिता हमें मार रहे हैं । आकर के हमें जल्दी बचाओ ।' इसके पश्चात् मैंने राकेश, छाजू राम, गोपी राम, बाबू लाल, राम सिंह को पुकारा कि 'मेरे भाइयों को पीटा जा रहा है । जल्दी आओ' और मैं घटनास्थल पर अपने भाइयों के पास पहुंचा । वहां पहुंच कर मैंने देखा कि बदरु के हाथ में लाठी थी, शिव लाल के पास भी लाठी थी, सीताराम के हाथ में भी लाठी थी, रामावतार के हाथ में बरछी जैसी

कुल्हाड़ी थी, लक्ष्मण के हाथ में गंडासी थी, महेश और शीश राम के हाथों में लाठियां थीं और चारों औरतों अर्थात् नन्ची, ननदी, जमुना और ललिता के हाथों में लाठियां थीं । ये सभी मेरे भाइयों को पीट रहे थे । रामावतार और लक्ष्मण बरछी जैसी गंडासी और कुल्हाड़ी से वार कर रहे थे । मैंने कहा, 'तुम उनकी पिटाई क्यों कर रहे हो । उन्हें छोड़ दो' । शिव लाल, बदरु राम, नन्ची देवी, सीताराम ने कमल और ओम प्रकाश को छोड़ दिया और मुझ पर हमला करने लगे । मेरे सिर में कई क्षतियां पहुंचीं और मेरे हाथ में अस्थिभंग हो गया । इन व्यक्तियों ने मेरी हत्या करने के लिए अनेक हमले किए । जब मेरा भतीजा राकेश हमें बचाने के लिए वहां आया, तब ये लोग उस पर भी हमला करने लगे । इसी दौरान, गोपी राम, छाजू राम, बाबू लाल राम सिंह घटनास्थल पर पहुंचे । अभियुक्त उन्हें देखकर हमें छोड़कर वहां से भाग गए । इसके पश्चात् वहां से गोपी लाल, बाबू राम आदि महेन्द्र की जीप लेकर आए और मेरे साथ ओम प्रकाश, कमल और राकेश को वी. डी. अस्पताल ले गए । क्षतियों के कारण मेरे भाई कमल कुमार और ओम प्रकाश की मृत्यु रास्ते में ही हो गई । मुझे और राकेश को खेतान अस्पताल, झुंझुनू में भर्ती कराया गया । अभियुक्तों ने कुंए और प्याऊ के निकट मंडरैला रोड पर हमारे साथ मार-पीट की । लगभग 2.30 बजे पूर्वाह्न में पुलिस बी. डी. अस्पताल, झुंझुनू पहुंची । मेरा कथन अभिलिखित किया गया जो प्रदर्श पी-9 है । जब साक्षी को उसका कथन पढ़कर सुनाया गया तब उसने स्वयं यह कहा कि यह वही कथन है जो उसने पुलिस को दिया था । घटना में कारित हुई क्षतियों के कारण मैं हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मैंने अपने कथन प्रदर्श पी-9 और पुलिस कार्रवाई के दौरान तैयार किए गए संबंधित कागजात पर अंगूठे की छाप लगाई । मेरी चिकित्सा परीक्षा कराई गई और एक्सरे भी कराया गया । पुलिस ने मेरे रक्तरंजित कपड़े अर्थात् एक पैंट और एक कमीज प्रदर्श पी-10 के अनुसार अभिगृहीत और मोहरबंद किए जिन पर मेरे अंगूठे की छाप एक्स बिन्दु पर लगाई गई । अभियुक्त हमारे चाचा भगवान राम की भूमि को हड़पना चाहते थे और वे हमसे खिन्न थे । अत:, उन्होंने मेरे और मेरे भाइयों के साथ मारपीट की । मैं अभियुक्तों को जानता हूं जिनमें से जमुना और ललिता न्यायालय में मौजूद हैं । मैं शेष अभियुक्तों को भी जानता हूं ।"

4. इसी प्रकार, राकेश (अभि. सा. 4) जो कि राधे श्याम का भतीजा

है और मृतक ओम प्रकाश का पुत्र है और दूसरा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जो कि इस घटना में आहत हुआ है, इस साक्षी ने भी अपने चाचा (अभि. सा. 3) के कथन की संपुष्टि करते हुए अभिसाक्ष्य दिया है । इस साक्षी का कथन इस प्रकार है :–

> "यह घटना तारीख 11 नवंबर, 1999 को घटित हुई थी । 11.15 बजे रात्रि में, घर पर पढ़ाई कर रहा था । मेरे पिता और चाचा तथा मेरे बाबा राधे श्याम सिंचाई करने के लिए कुंए पर गए हुए थे क्योंकि रात्रि में ही बिजली आया करती थी । 'मार दिया, बचाओ बचाओ', की आवाज सुनकर मैं कुंए की ओर दौड़ा । 'बचाओ बचाओ' की यह आवाज ओम प्रकाश, कमल और राधे श्याम की थी और इसके पश्चात् मैं कुंए की ओर दौड़ा जब मैं मंडरैला रोड के निकट प्याऊ पर पहुंचा, मैंने देखा कि बदरु राम, बदरु राम के पुत्र शिव लाल, सीताराम, रामावतार, लक्ष्मण, महेश शीश राम और उनकी महिलाएं अर्थात् नन्ची, ललिता और जमुना वहां मौजूद थे । इन व्यक्तियों में रामावतार के पास बरछी जैसी कुल्हाड़ी थी, लक्ष्मण के हाथ में गंडासी थी और सभी अभियुक्तों के हाथों में लाठियां थीं । सभी अभियुक्त मेरे पिता ओम प्रकाश, मेरे चाचा कमल कुमार और राधे श्याम पर तेज धार वाले हथियारों और लाठियों से हमला कर रहे थे ।
>
> मैं भी चिल्लाया 'बचाओ, बचाओ' और मैंने यह भी कहा कि अभियुक्त मेरे पिता और मेरे चाचाओं पर हमला कर रहे हैं और उनके साथ मारपीठ कर रहे हैं । मेरी चीख-पुकार की आवाज सुनकर, छाजू राम, बाबू लाल, श्याम सिंह, चंदगी राम और गोपी राम दौड़ते हुए वहां आए । जब मैं चिल्लाया 'बचाओ, बचाओ' सभी अभियुक्त मेरे साथ भी मारपीठ करने लगे । उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने, जो मेरी चीख-पुकार सुनकर आए थे, हमें बचाया और अभियुक्त हमें छोड़कर वहां से चले गए । इसके पश्चात् राधे श्याम, कमल और ओम प्रकाश के साथ मुझे भी जीप द्वारा अस्पताल ले जाया गया । क्षतियों के कारण ओम प्रकाश की मृत्यु रास्ते में ही हो गई । मुझे और राधे श्याम को अस्पताल में भर्ती कराया गया । मैं हमलावरों को जानता हूं जिनमें से ललिता और जमुना आज न्यायालय में मौजूद हैं और मैं शेष अभियुक्तों को भी जानता हूं । मेरी चिकित्सा परीक्षा और एक्सरे झुंझुनू अस्पताल में कराया गया ।"

5. इन दो प्रत्यक्षदर्शी आहत साक्षियों ने न केवल एक दूसरे के साक्ष्य की संपुष्टि की है अपितु उनका साक्ष्य प्रतिपरीक्षा के दौरान स्थिर भी बना रहा है । राधे श्याम (अभि. सा. 3) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है :–

> "मैं यह नहीं बता सकता कि मेरे वहां पहुंचने के पूर्व कमल को कितनी क्षतियां पहुंचीं और मैं यह भी नहीं बता सकता कि ओम प्रकाश को कितनी क्षतियां पहुंची थीं किन्तु इन दोनों व्यक्तियों के साथ मार-पीट की गई थी क्योंकि मैंने यह नहीं देखा था कि किसको किस हथियार से पीटा गया था । अत: मैं यह नहीं कह सकता कि बरछी और कुल्हाड़ी से कितनी क्षतियां कारित हुईं । जब मैं वहां पहुंचा था, लड़ाई हो रही थी । मुझे वहां पहुंचने का समय पता नहीं और मुझे यह भी पता नहीं है कि यह लड़ाई कितनी देर तक चली । मैंने भूमि पर पड़ा हुआ रक्त नहीं देखा । मुझे यह नहीं मालूम है कि जीप में रक्त पड़ा हुआ था या नहीं । सभी अभियुक्तों ने राकेश पर हमला किया था और मैं यह नहीं बता सकता किस अभियुक्त ने कितनी क्षतियां कारित कीं । यह सुझाव गलत है कि मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और यह कि इसीलिए मैं अनेक क्षतियों के बारे में बताने में असमर्थ हूं ।"

6. इसी प्रकार राकेश कुमार (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है :–

> "हम लगभग 1.30 बजे पूर्वाह्न में अस्पताल पहुंचे । पुलिस लगभग 2.00 बजे पूर्वाह्न में अस्पताल आई । कुछ समय पश्चात् मैं सो गया और मुझे नहीं मालूम कि पुलिस वहां कितनी देर मौजूद रही । मैं प्रात:काल में जागा । मैं 2.00 बजे पूर्वाह्न तक नहीं सोया था । मेरा कथन 2.00 बजे पूर्वाह्न में अभिलिखित किया गया था और इसके पश्चात् पुलिस मेरे पास नहीं आई । जमुना का विवाह सीकर में हुआ था । मुझे यह नहीं मालूम कि उसका विवाह इस घटना के कितने दिन पूर्व हुआ था । पुलिस को दिए गए कथन (प्रदर्श डी-3) में मैंने घर पर पढ़ाई करने के बारे में उल्लेख नहीं किया था, मुझे यह नहीं मालूम कि पुलिस ने यह बात उस कथन में क्यों लिखी । प्रदर्श डी-3 में मैंने यह लिखवाया था कि मैंने मंडरैला रोड पर स्थित प्याऊ की ओर से शोर आता हुआ सुना था और इसके पश्चात् मैं वहां पहुंचा, मुझे यह नहीं मालूम कि पुलिस को दिए गए कथन प्रदर्श डी-3

में यह बात क्यों नहीं लिखी गई है । मैंने उन अभियुक्तों के बारे में अभिकथन किया था जिनके पास भिन्न-भिन्न हथियार थे किन्तु मुझे यह नहीं मालूम कि यह बात प्रदर्श डी-3 में क्यों नहीं लिखी गई है । मैंने अपने पिता और चाचा पर तेज धार वाले हथियारों से अलग-अलग वार किए जाने के बारे में बताया था, मुझे नहीं मालूम कि प्रदर्श डी-3 में यह बात क्यों नहीं लिखी गई है । मैंने प्रदर्श डी-3 में यह कथन किया था कि मैंने हमला किए जाने के बारे में शोर मचाया था । यह कहना गलत है कि मैं इसलिए मिथ्या अभिसाक्ष्य दे रहा हूं कि मेरे चाचा और पिता इस घटना में आहत हुए थे । मैंने इस घटना में अभियुक्तों को पहुंची कोई क्षति नहीं देखी । यह कहना गलत है कि मैं मिथ्या साक्ष्य दे रहा हूं ।

7. अभि. सा. 3 की मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा का परिशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह साक्षी न्यायालय को यह नहीं बता सका कि मृतकों को कितनी क्षतियां किन-किन हथियारों से पहुंची थीं, इस बात से यह साक्ष्य निर्बल नहीं हो जाता कि अभियुक्तों द्वारा आहतों की पिटाई की गई थी । यह स्पष्ट है कि रात्रि में यह पता लगाना बहुत कठिन होता है कि किस व्यक्ति ने किस पर वार किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने बहुत सावधानी के साथ दो आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और चिकित्सक (अभि. सा. 8) जिसने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है, सहित सभी 14 साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन किया है । अभि. सा. 7 और अन्वेषण अधिकारी ने अपराध में प्रयोग किए गए हथियारों की बरामदगी के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 13) ने यह कथन किया है कि अभियुक्त रामावतार द्वारा स्वेच्छया दी गई जानकारी के आधार पर एक कुल्हाड़ी अभिगृहीत करके मुहरबंद की गई । इसी प्रकार, अन्य अभियुक्तों से लाठियां बरामद की गईं जिनमें अभियुक्त बदरु राम से उसके मकान के पीछे पानी में से लाठियां बरामद की गईं, शिव लाल से उसके मकान के पीछे लगे पौधों और झाड़ियों में से लाठी बरामद की गई और अभियुक्त लक्ष्मण के कथनानुसार बैंगन के खेत में से गंडासी बरामद की गई थी । इसी प्रकार अभियुक्त सीताराम के कहने पर लाठी बरामद की गई है ।

8. निचले न्यायालयों ने साक्ष्य का बहुत सूक्ष्मता के साथ परिशीलन किया है और दो प्रत्यक्षदर्शी आहत साक्षियों के साक्ष्य का पूर्ण रूप से अवलंब लिया है और अन्वेषण अधिकारी तथा डा. जे. पी. बुगलिया (अभि.

सा. 8) के साक्ष्य का भी परिशीलन किया है, अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि मस्तिष्क को पहुंची क्षति और आंतरिक और बाह्य रक्तस्राव होने के कारण मृतक कौमा की स्थिति में आ गया था जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई ।

9. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील दी है कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 6 अभियुक्तों को दोषमुक्त किया है इसलिए समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर हमारे समक्ष प्रस्तुत अपीलार्थियों को भी दोषमुक्त किया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय के निर्णय से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अन्य 6 अभियुक्तों की दोषमुक्ति का कारण केवल यह है कि उन्हें परचा बयान में राधे श्याम द्वारा नामित नहीं किया गया था । राज्य ने उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष के आधार पर हमारे समक्ष अपील नहीं की है । समतुल्यता के सिद्धांत को ऊपर उल्लिखित ऐसे दो प्रत्यक्षदर्शी आहत साक्षियों के सारभूत साक्ष्य से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता जिन पर निचले न्यायालयों द्वारा एकमत रूप से विश्वास किया गया है ।

10. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् न्यायमित्र द्वारा यह भी दलील दी गई है कि यह ऐसा मामला है जिसे दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध में परिवर्तित किया जाना चाहिए क्योंकि विद्वान् न्यायमित्र के अनुसार मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों का परिशीलन करने पर यह घटना अचानक प्रकोपन के कारण घटित हुई प्रतीत होती है जिसमें कोई कारण या हेतु दिखाई नहीं देता है । यह दलील केवल खारिज किए जाने के लिए ही दी गई है । दो प्रत्यक्षदर्शी आहत साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह अचानक प्रकोपन का मामला नहीं है और हेतु के न होने से आरोप में कमी नहीं आ सकती ।

11. हमारा यह निष्कर्ष है कि किसी भी निचले न्यायालयों के निर्णयों में कोई भी कमी नहीं है और उनकी पुष्टि की जाती है । तद्नुसार अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस./पा.